

1. हुगाननाथ (फौत) जरिये वारिसान जगदीश नाथ जाति नाथ निवारी किशनपुरा तहरील सूरतगढ़ आदि

2. अधिशापी अभियंता, जल संशाधन खण्ड सूरतगढ़

किस्म मुकदमा- रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या- 331/2013

जीसीएमएस प्र0स0- 2013/00730

तारीख हुगम

हुगम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुगम की तारीख
में जारी हए

27.04.2026

पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी संख्या 02 हाजिर। पत्रावली का अवलोकन करने से पाया कि तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा यह रेफरेन्स दिनांक 19.03.2013 को पेश किया गया है। प्रकरण में आदेशिका दिनांक 07.05.2025 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के वारिसान यथा अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 1/9 की तलवी रजिस्टर्ड ऐडी नोटिस से करने के आदेश दिये गये थे। परन्तु अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 1/9 के सही पते के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करने हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ को 12 अवसर दिये जाने के उपरांत भी तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा आदेशानुसार नोटिस पेश नहीं किये। इसके अतिरिक्त आदेशिका दिनांक 31.07.2024 द्वारा आवंटन संबंधी मूल अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थी तहसीलदार सूरतगढ़ को निर्देशित किया गया था। मूल अभिलेख मंगवाने बाबत इस न्यायालय के पत्रांक रीडर/2025/600-601 दिनांक 15.09.2025 द्वारा तहसीलदार सूरतगढ़ को लिखा भी गया था। मूल अभिलेख प्रस्तुत करने बाबत तहसीलदार सूरतगढ़ को 21 अवसर भी प्रदान किये गये थे। परन्तु आज दिनांक तक तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा मूल अभिलेख पेश नहीं किया गया है। मूल अभिलेख के अभाव में हम प्रकरण का निस्तारण करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः हस्तगत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र तहसीलदार सूरतगढ़ को इस आशय के साथ वापिस लौटाया जाता है प्रकरण में मूल आवंटनी/यदि मूल आवंटनी फौत हो चुका है तो उसके विधिक वारिसान को/वर्तमान खातेदार को पक्षकार बनाते हुए उनके सही पते के रजिस्टर्ड ऐडी नोटिस एवं मूल आवंटन अभिलेख की प्रमाणित प्रति तथा आवंटन के समय तथा वर्तमान में रकबा पर कौन व किस हैसियत से काबिज है, की रिपोर्ट सहित तथा यदि रकबा जल संशाधन विभाग द्वारा अवाप्तशुदा/विभाग के लिए आरक्षित है तो जल संशाधन विभाग को भी पक्षकार बनाते हुए अवाप्ती संबंधी/आरक्षण संबंधी अभिलेख की प्रमाणित प्रति सहित एवं रकबा के संबंध में वादों की बहुलता को रोकने हेतु स्थगन प्रार्थना सहित अविलम्ब नियमानुसार वापिस इस न्यायालय में पेश करे। चूंकि प्रकरण राज्य हित से संबंधित है अतः पुनः रेफरेन्स पेश करने में होने वाले विलम्ब के लिए तहसीलदार सूरतगढ़ स्वयं व्यक्तिः उत्तरदायी होंगे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(दीनानाथ बबल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

